03BB 187931

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 22,04,895/ रूपये ।
स्टाम्प पेपर अंकन : 2,20,500/ रूपये ।

मैं/हम कि प्रहलाद पुत्र श्री चन्दु निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, (फरीक अव्वल/विक्रेता /विक्रेतागण) ।

एवम

श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (फरीक दोयम/क्रेता) ।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
28 JUL 2006
दस्तावेज नं० 2.6 शामिल किया गया
उप. रजिस्ट्रार

2204095/- 5006/-

लेखपत्र .... फीस रजिस्ट्री ....
रुपये .... अंकन 3020/- शब्द 600
श्री .... प्रहलाद
पुत्र श्री .... जाति ....
निवासी ....
ने कार्यालय उप रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 28/7/06
समय 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया

उप रजिस्ट्रार
28/7/06

लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखे
ज़रेबदल मु० 2204095/-
जिसमें से
नकद मेरे सामने पाकर उक्त श्री प्रहलाद

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187932

(2)

<u>विकीत भूमि का विवरण</u>

स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं0 137 के खसरा नं0 23 रकबई 0.7970 हैक्टेयर का 2/3 भाग अर्थात रकबई 0.5313 हैक्टेयर ।

1. विकीत भूमि कृषि भूमि है तो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संकमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/–रुपया प्रति हैक्टेयर लेकिन इस विकय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/–रुपया प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 22,04,895/– रूपये (बाईस लाख चार हजार आठ सौ पिचानवें रूपए मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

कार्यालय उप-कोषागार

28 JUL 2006

स्टाम्प सं. ... क्र. ...

शामिल किया गया

उप. रोकड़िया

पवन

कुरुवाई

20/7/06

किशोर

28/7/06

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187933

(3)

2. विक्रेता अनुसूचित जाति का है। विक्रेता ने इस आशय क श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है ।

3. यह कि विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विक्रेता (फरीक अव्वल) संक्रमणीय भूमिधर हो चुका है । इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नही हैं ।

प्रहलाद

किशन कुमार

कार्यालय उप कोषागार
बलरी

स्टाम्प सं० 20 रु० 150 तिथि
लाइसेंस सं० 21

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
15000रु.
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000
भारत INDIA

03BB 187934

4. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

प्रसाद

दिनेश कुमार

कार्यालय उप कोषागार
सादरी
28 JUL 2006
स्टाम्प नं० 21 क्र. 15 माह
रजिस्टर नं० 26 में शामिल किया गया
उप. कोषाधिकारी

१५००० रु. भारतीय गैर न्यायिक १५००० रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187935

5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है । तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222713 दिनांकित 15.10.2005 अंकन 1,89,000/-रूपये (एक लाख नवासी हजार रूपए मात्र) तथा नगद 37,800/-रूपये (सैतीस हजार आठ सौ रूपए मात्र) दिनाक 15.10.2005 प्राप्त कर लिये थे ।

प्रहलाद

किशोर कुमार

कार्यालय उप कोषागार

बावरी

शामिल किया गया

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187936

6. विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ /हम फरीक अव्वल (विकेता/विकेतागण) की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विक्रय, वसीयत

प्रह्लाद

किशोर कुमार

कार्यालय उप कोषागार

मामरी

28

इन्द्राज नं० 31 कं० ...

स्टाम्प नं० ... में शामिल किया गया

उप. रोकड़िया

सत्यमेव जयते

03BB 187937

आदि दोषों से मुक्त है काही अन्य जगह आड, रहन बय, हिबै महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ग्रस्त नही है और न हीं इस बाबत कोई मामला किसी न्यायालय/कार्यालयों में विचाराधीन है ।

प्रहलाद

बिजेशकुमार

कार्यालय उप कोषागार

दादरी

रजिस्टर नं. 72 क्र. 12 में

स्टाम्प नं. 26 में शामिल किया गया

उप. रोकड़िया

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

03BB 187938

(8)

7. मुझ/हम विक्रेता/विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 137 के खसरा नं0 23 रकबई 0.7970 का 2/3 भाग अर्थात रकबई 0.5313 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की

कार्यालय उप ...

हल्द्वानी

2 ...

स्टाम्प नं0 ... रू0 ...

स्टाम्प नं0 ... में शामिल किया गया

उप. ...

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187939

काश्त एवं अन्य निजि आवश्यकताओं हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, काबिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय

इन्द्राज नं. 27 सन 07 ... में शामिल किया गया
उप. रजिस्ट्रार

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187940

धनराशि अंकन रुपया अंकन 22,04,895 रूपये (बाईस लाख चार हजार आठ सौ पिचानवें रूपए मात्र) जिसके आधे अंकन 11,02,447.50/– (ग्यारह लाख दो हजार चार सौ सैतालीस रूपए पचास पैसे मात्र) होते है, एवज में हाथ फरीक दोयम केता उपरोक्त श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर को बय कर दिया है और भूमि की कुल विकय धनराशि में से अब शेष रकम अंकन 19,78,095/– (उन्नीस लाख अठहत्तर हजार पिचानवें रूपये मात्र) बजरिये चैक नम्बर 011312 दिनांकित 28.07.2006 का पँजाब नैशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुझ विकेता ने केता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नही रहते है ।

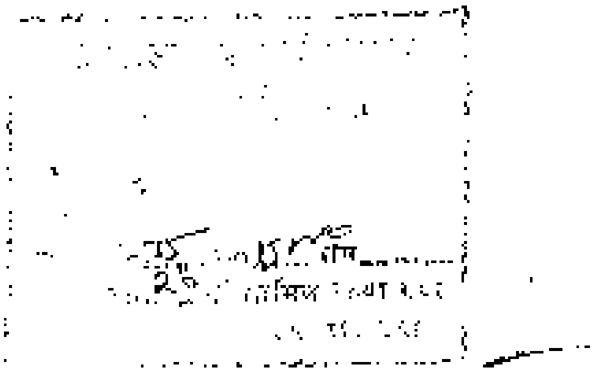

03BB 187941

8. विकीत भूमि का कब्जा मौके पर केता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके केता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में लाये ।

प्रहलाद

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187942

(12)

9. विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराकर बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे

प्रहलाद

विजेन्द्र कुमार

कार्यालय उप [illegible]
दादरी
28 JUL 2005
[illegible] नं० 32 [illegible] दाखिल किया गया
उप. [illegible]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187943

हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नही होगा और न ही है । अब विक्रय पश्यात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा ।

कार्यालय उप कोषाधिकारी
बाजपुर
प्रपत्र सं. 28 ... [illegible]
प्रपत्र संख्या 25 में शामिल किया गया
उप को. [illegible]

सत्यमेव जयते
उत्तर [illegible]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187944

10 विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल / विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थापनापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

प्रहलाद   किशोर कुमार

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 611299

11. यह कि फरीक अव्वल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदि) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हे क्रेता को सौंप देगा।

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

प्रहलाद

दिनेश कुमार

कार्यालय उप कोषागार

बावरी

27

सत्यमेव जयते

13. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढकर गवाहों की उपस्थिति मे लिख दिया गया हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

[illegible]

...शानी अंगूठा)
...अव्वल (विक्रेता)

[illegible]

(हस्ता...
फरीक...

गवाह नं0 1

श्री— [illegible] पुत्र श्री— [illegible]
निवासी ग्राम— [illegible] परगना— [illegible]
तहसील— दादरी
जिला— [illegible]

गवाह नं0 2

श्री— [illegible] पुत्रश्री— [illegible]
निवासीग्राम— [illegible] परगना— [illegible]
तहसील— दादरी
जिला— [illegible]

तहरीर दिनांक 26.07.2006 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD. (U.P.)

कार्यालय उप [illegible]
दादरी
28 [illegible]
[illegible] सं० 91 [illegible]
[illegible] नं०-25 [illegible] शामिल [illegible]
उप. [illegible]

आज दिनांक 28/7/06 को [illegible]
बही संख्या I जिल्द संख्या 161
के पृष्ठ 265 [illegible] 10950
पर [illegible] 296 [illegible]

उप [illegible]
दादरी

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

PNB

छपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं. 137 खसरा नं0 23 रकबा 0.3513 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौ0बु0नगर मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै0 उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को देना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नही है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

पहलादे S/o चन्दू

निवासी दुरियाई

[illegible] ...... ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] ...... बाबत साल [illegible]–[illegible] ...... पृ०

खसरा नम्बर	[illegible] क्षेत्रफल	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी खाते के वर्गीकरण (विवरण 1) के अनुसार काश्तकार का नाम	खतौनी के (भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार) शिकमीदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	भूमि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल: खरीफ – [illegible]	खरीफ – सींचा हुआ	खरीफ – अन सींचा	रबी – [illegible]	रबी – सींचा हुआ	रबी – अन सींचा	जायद – [illegible]	जायद – सींचा हुआ	जायद – अन सींचा	सींचा हुआ	अन सींचा	[illegible] के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा: भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक [illegible] के पूरे [illegible] हुए पेड़ों की संख्या और किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
७३	०-६६ [illegible]	९३८	[illegible], [illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible] इन्दराज [illegible] किया

Anil Kumar
6/4/06
अनिल कुमार
(लेखपाल)
[illegible] वाराणसी
[illegible]

1937

प्रमाण पत्र संख्या 001710201150871599

जाति प्रमाण पत्र

(उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रह्लाद पुत्र श्री चन्दु निवासी गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 राज्य की जाटव जाति के व्यक्ति हैं। जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई0 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन–जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री प्रह्लाद तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र राजस्व निरीक्षक, बिसरख की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान दादरी

दिनांक 07-04-2006

कार्यालय की मुहर मोहर

तहसीलदार
दादरी

उद्धरण खतौनी

04/09

ग्राम क्रमांक : 71020115087 ग्राम का नाम : दुरयाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।									
00137	प्रहलाद भगीरथ	चन्दू भिखारी	नि. ग्राम नि. ग्राम	पू1395फ	23	0.7970		आदेशानुसार श्रीमान सह.न्यायिक वि.न.941/7-9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 137 के ख.न 23/0.7970 हे. का 2/3भाग 0.5313हे. से विक्रेता प्रहलाद पुत्र चन्दू नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता ब्रिजेश कुमार पुत्र [illegible] नि ग्राम का नाम बतौर [illegible] दर्ज हो। ह.स.र.का. 28-5-2007	
				कुल गाटे : 1	कुल क्षे :	0.7970	19.45		

11-6-07

(V.S. Yadav)
11/6/07

हस्ताक्षर

08-06-07